फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

हकीम बनाम अहमदनूर (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 46 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.3.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.3.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
28.3.23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलाई जाने के बाद भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है, वकील प्रार्थी का प्रारपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली कियागया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya Date: 2023.12.28 16:43:55 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा	

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 46/23 प्रा०पत्र

1- श्री हकीम s/o श्री सुल्तान मुसलमान निवासी- केरिया तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1- श्री अहमद नूर s/o श्री अमीरदीन मुसलमान निवासी- केरिया तहसील माण्डल
2- श्रीमती कालीबानू w/o श्री आजीज मोहम्मद निवासी - केरिया तहसील-माण्डल
3- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा. माण्डल तहसील- माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 28-03-23

::आदेश::

...ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ... केरिया ......पटवार हल्का......केरिया............तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की ... 3668, 3670, 3672, 2911, 2917, 2918, 3638 ....कुल किता......06.........रकबा....1.9224.......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि ...ण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता ...समें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

...र्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक .....03-03-23.........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ...से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ...। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ... न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

...र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......केरिया......पटवार ...केरिया......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3668, 3670, 3672, 2911, 3665, 3667, 2917, 2918, 3638, 2913, 2921 ... .06..................रकबा....1.9224...... हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये ... भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास ...थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये ... की मौजूदगी में मौके व कब्जे ...0/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर ... आधार मानकर पत्थर... की जावें। फसल खडी होने पर ...ति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को ... की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

...हसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की ...ाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

...अधिकारी